



2026:AHC:15686

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42102 / 2025

अरघ्या अधिकारी

....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: अजीत शर्मा

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री अनिल तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री अजीत शर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्री एस. के. राय को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक अर्घ्य अधिकारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 0320 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 204, 205, 318, 319, 336(2), 338, 339, 3(5), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी, 66डी तथा प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम की धारा 3/4, थाना फेज-III नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है, उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 10.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में दिनांक 16.10.2025 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उस पर दिनांक 04.11.2025 को संज्ञान भी लिया जा चुका है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के पति विभाष चंद अधिकारी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36058 सन् 2025 में पहले ही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्रदान की जा चुकी है। उसके विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख है, जिनका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत प्रदान किए जाने का आधार बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः अभियुक्त आवेदक **अरघ्या अधिकारी**, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय के संतोष के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगी।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें भयभीत नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्रता होगी।



दिनांक : 20 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।